न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 09.12.2020
GCMS NO. :-2020/00396

1–श्रीमति शांति पुत्री केला जी पत्नि जगदीश जी जाति लोदा, उम्र 24 वर्ष, निवासी घोसुण्डा, हाल मुकाम लक्ष्मीपुरा, बराड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–श्रीमति सोहनी पुत्री केला जी पत्नि गणपतलाल जी जाति लोदा, उम्र 37 वर्ष, निवासी घोसुण्डा हाल मुकाम बिलिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–श्री रतन पिता केला जी जाति लोदा, उम्र 34 वर्ष, निवासी घोसुण्डा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–श्री सत्यनारायण पिता केला जी जाति लोदा, उम्र 27 वर्ष, निवासी घोसुण्डा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–श्रीमति कमला बेवा केला जी जाति लोदा, उम्र 59 वर्ष, निवासी घोसुण्डा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट्स

बनाम

1–श्री प्रहलादराय पिता चोथमल जी जाति कलंत्री (महाजन), उम्र 57 वर्ष, निवासी घोसुण्डा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के आदेश नामान्तरण संख्या 1738 दिनांक 04.05.2018

उपस्थितिः- 1- श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अपीलांट्स
2- श्री लोकेश कुमार गदिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 23/2020 (रा. अ.)

श्रीमति शांति पुत्री केला जी लोदा निवासी घोसुण्डा व अन्य बनाम श्री प्रहलादराय पिता चोथमल जी कलंत्री निवासी घोसुण्डा व अन्य

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम व पटवार हल्का घोसुण्डा की खतौनी संख्या 350 पर दर्ज आराजी नम्बर 2458, 2459, 2461 व 2464 किता 04 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर एवं आ. नं. 2462 रकबा 0.03 हैक्टेयर में अपीलांट्स का 1/6 हक व हिस्सा निहित था जिसे अपीलांट्स ने अपने घरेलू खर्च के लिए अपने निहित हिस्से में से 14/134 वां हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये पंजीकृत विकय विलेख से विकय किया लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर खाता संख्या 350 मे वर्णित अपीलांट्स के सम्पूर्ण हिस्से को अपने नाम दर्ज करवा नामान्तरण संख्या 1738 स्वीकृत करा लिया जो न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 1738 दिनांक 04.05.2018 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार गदिया ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ है। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवार हल्का घोसुण्डा के खतौनी संख्या 350 पर दर्ज आराजी नम्बर 2458, 2459, 2461 व 2464 किता 04 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर एवं आ. नं. 2462 रकबा 0.03 हैक्टेयर में अपीलांट्स का 1/6 हक व हिस्सा निहित था जो अपीलांट्स को जरिये विरासत अपने पिता से प्राप्त हुआ। अपीलांट्स को अपने घरेलू खर्च एवं वैध कार्यो में रूपयों की आवश्यकता होने से अपीलांट्स ने अपने निहित 1/6 हिस्से में से 14/134 वां हिस्सा जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26.03.2018 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विकय कर विकित कृषि भूमि का कब्जा सिपुर्द कर दिया लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर खाता संख्या 350 में वर्णित अपीलांट्स के सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरण संख्या 1738 स्वीकृत कराते हुए अपीलांट्स का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया। नामान्तरण की कार्यवाही से पूर्व

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक घोसुण्डा द्वारा यंत्रवत् तरीके से रिपोर्ट की गई उनके द्वारा किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र का अवलोकन नहीं किया गया केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कहे अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही करते हुए नामान्तरण स्वीकृति हेतु अधीनस्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तथा तहसीलदार द्वारा भी अपना माईन्ड अप्लाई किए बिना पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को सही मानते हुए नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया जो न्यायिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण की जानकारी अपीलांट्स को पूर्व में नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी पटवार हल्का से अपने खाते की नकल दिनांक 05.10.2020 को प्राप्त करने तथा जमाबन्दी का अवलोकन करने से ज्ञात हुई। फिर भी अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य कराये जाने हेतु धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 1738 दिनांक 04.05.2018 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खतौनी संख्या 350 की आराजी नम्बर 2458, 2459, 2461 व 2464 किता 04 मे से प्रार्थीगण का 14/134 वां हिस्सा व आराजी नम्बर 2462 रकबा 0.03 है. में प्रार्थीगण का निहित सम्पूर्ण हिस्सा पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने क्रय किये गये हिस्से पर काबिज है परन्तु पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रार्थीगण के सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरण विक्रय करने का अंकन कर दिया। प्रार्थीगण के हिस्से में इस प्रकार 22 आरी जमीन आती है इसलिए बकाया जमीन का नामान्तरण वापिस प्रार्थीगण के नाम पर किया जाता है तो मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः आराजी नम्बर 2458, 2459, 2461 व 2464 किता 04 में से प्रार्थीगण का 14/134 वां हिस्सा व आराजी नम्बर 2462 रकबा 0.03 है. में प्रार्थीगण का निहित सम्पूर्ण हिस्सा पंजीकृत विक्रय विलेख अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम रखा जावे तथा शेष हिस्सा प्रार्थीगण के नाम पर नामान्तरण खोला जाता है तो विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय-विलेख दिनांक 26.03.2018 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने पटवार हल्का घोसुण्डा के खाता संख्या 350 में दर्ज अपने हक व हिस्से की आराजी नम्बर 2458, 2459, 2461 व 2464 किता 04 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर में से अपना 14/134 वां हिस्सा एवं आ. नं. 2462 रकबा 0.03 हैक्टेयर में अपना सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी सहमति का जवाब प्रस्तुत करके अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1738 दिनांक 04.05.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात के संबंध में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर उनके हक एवं हिस्सेनुसार भूमि दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official